फर्द अहकाम(नियम 26)

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलवर (राज.)

विजेन्द्र कुमार वगैरह बनाम मूर्ति मंदिर जगन्नाथ जी महाराज व अन्य

दीवानी विविध अपील संख्या 18/2026 (8/2016) (39/2022)

दिनांक हुक्म	कार्यवाही मय आद्यहस्ताक्षर	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में हुए
23.03.2026	वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। अपीलार्थीगण बिजेन्द्र वगैरह की ओर से हस्तगत अपील, विरूद्ध प्रत्यर्थीगण, न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01, अलवर की तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्रीमती कृष्णा राकेश कांवत, द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 21.11.2015 से व्यथित होकर पेश की गई है। उक्त आदेश के माध्यम से, उक्त न्यायालय में लंबित विविध दीवानी प्रार्थनापत्र संख्या 46/176/2009, अनुवान मंदिर मूर्ति जगन्नाथ जी महाराज व अन्य बनाम राजेन्द्र प्रसाद व अन्य के मामले में, प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को दिनांक 21.11.2015 को निस्तारित किया जाकर, अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया गया था कि वे ताफैसला मूल वाद, मंदिर श्री जगन्नाथ जी महाराज व मंदिर से संबंधित समस्त संपत्तियों के मौके व रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखेंगे व उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अपील के दौरान अपीलार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर, अपीलार्थी बिजेन्द्र कुमार की मृत्यु दिनांक 19.02.2026 को हो जाना बताया है एवं उनके वारिसान को 1/1 लगायत 1/3 के रूप में पक्षकार जोडे जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थनापत्र पर विचार किया गया। न्यायहित में प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपीलार्थी बिजेन्द्र कुमार के वारिसान सुनंदा शर्मा, प्रशांत शर्मा व निशांत शर्मा को बतौर अपीलार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/3 के रूप में, रिकॉर्ड पर लिया जाता है। अपीलार्थीगण की ओर से संशोधित अपील शीर्षक पेश किया गया है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है।	

	अपीलार्थीगण की ओर से आज एक अन्य प्रार्थनापत्र पेश किया जाकर, प्रत्यर्थी संख्या 03 श्रीमती प्रेमकुमारी का निधन हो जाना भी बताया है एवं प्रत्यर्थी संख्या 03 श्रीमती प्रेम कुमारी के वारिस 3/1 को बतौर प्रत्यर्थी प्रकरण में जोडे जाने की प्रार्थना की है। साथ में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया है। न्याय हित में प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्रों को स्वीकार किया जाकर, प्रत्यर्थी संख्या 03 श्रीमती प्रेमदेवी के वारिस श्रीमती गीता देवी को प्रत्यर्थी संख्या 3/1 के रूप में, प्रकरण में बतौर पक्षकार जोडे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या 3/1 श्रीमती गीता कुमारी का नाम लाल स्याही से अपील के अनवान में जोडा जाता है। दोनों पक्षों को सुना गया। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता भी इस अपील के दौरान पेश किया गया है, जिसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाने का निवेदन किया। अपील के गुणावगुण पर विचार किया गया। हम पाते हैं कि प्रस्तुत अपील में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र का निस्तारण दिनांक 21.11.2015 को होकर, 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है एवं विगत 10 वर्षों से अधिक समय से वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रकरण में प्रभावी हैं। दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया है कि मूल वाद अभी साक्ष्य प्रतिवादी के प्रक्रम पर लंबित है। चूंकि विगत 10 वर्ष से अधिक की अवधि से वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में यथास्थिति के आदेश यथावत जारी हैं, ऐसे में इस स्तर पर अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में प्रस्तुत अपील में कोई भिन्न आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है। हम यह भी पाते हैं कि चूंकि मूल वाद वर्ष 2009 में पेश किया गया था, जिसे पेश हुए करीबन 17 वर्ष का समय हो चुका है, ऐसे में इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि मूल वाद का निस्तारण, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय, यथासंभव इस आदेश की दिनांक से, 03 माह की अवधि के अंदर करे। मूल वाद के निस्तारण तक, अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र में	

	पारित आदेश दिनांक 21.11.2015 जारी रहेगा। जहां तक आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र का प्रश्न है, अपीलार्थीगण की ओर से जो दस्तावेजात इस न्यायालय के समक्ष पेश किये गये हैं, वे दस्तावेजात, अपीलार्थीगण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अतः उक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति के साथ अविलंब प्रेषित की जावे। अपील फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफतर हो।	